



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 264-अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2015

दिनांक: 15 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित उपमुख्य लेखाधिकारी को उपमहाप्रबन्धक(लेखा) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित निगम/स्थान को तैनात/आबण्टित किया जाता है। उक्त कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न उपमहाप्रबन्धक(लेखा) के पद पर नियुक्त होंगे :-

क्र० सं०	नाम(सर्वश्री)/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	उपमहाप्रबन्धक (लेखा) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात तैनाती कार्यालय/आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	प्रभात कुमार गुप्ता (पी-278) कानपुर, 30.06.2018	उपमुख्य लेखाधिकारी परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), लखनऊ	उपमहाप्रबन्धक(लेखा) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड (मुख्यालय), लखनऊ
2.	हेमेश कुमार अग्रवाल (एच-152) मथुरा, 30.06.2022	उपमुख्य लेखाधिकारी परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), गाजियाबाद	उपमहाप्रबन्धक(लेखा) पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ
3.	सुरेश कुमार (एस-832) बाराबंकी, 30.06.2021	उपमुख्य लेखाधिकारी केन्द्रीय लेखा कार्यालय उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मुख्यालय), लखनऊ	उपमहाप्रबन्धक(लेखा) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड (मुख्यालय), लखनऊ

श्री सुरेश कुमार को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि यदि किसी कारणवश श्री सुधांशु द्विवेदी निदेशक पद से प्रत्यावर्तित हो जाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप श्री सुरेश कुमार, उपमुख्य लेखाधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त प्रोन्नत कार्मिकों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- आवंटित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।
- उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः पृष्ठ - 2

संख्या: 264-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2015 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
 - 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 3- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
 - 4- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
 - 5- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रांसमिशन का0लि0।
 - 6- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 7- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 - 8- अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 9- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,



(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव (2अ)